विद्या/विधा/प्र.प्र.-2/03 परिशिष्ट "छः"
[14/3/2023]

प्रश्न सं. [क. 2103]

42

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

क्रमांक सी-6-36/92/3/1 भोपाल दिनांक 5-9-92

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, म. प्र. ग्वालियर,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश.

विषय.—शासकीय सेवकों की अनधिकृत अनुपस्थिति के संबंध में.

सन्दर्भ.—इस विभाग का ज्ञापन क्र. सी-3-12/90/3/49, दिनांक 19-7-90.

शासन के समक्ष ऐसे प्रकरण आए है, जिनमें शासकीय सेवक लम्बे समय से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहे है तथा वे इस अनधिकृत अनुपस्थिति के उपरान्त, जब विभाग/कार्यालय में उपस्थिति प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं तो विभाग/कार्यालय द्वारा उनके विरुद्ध अनधिकृत अनुपस्थिति के संबंध मे, विभागीय जांच की जाना तो दूर, बल्कि उन्हें सीधे ड्यूटी पर ले लिया जाता है, तत्पश्चात् अनधिकृत रूप से अनुपस्थिति की अवधि को नियमित करने हेतु प्रकरण में मार्गदर्शन चाहा जाता है. इस प्रकार की स्थिति अत्यन्त आपत्तिजनक है.

2. उक्त स्थिति के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग (तत्कालीन कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं प्रशिक्षण विभाग) के ज्ञापन क्रमांक एफ. सी-3-12-90-3-49, दिनांक 19-7-90 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसके द्वारा समस्त विभागों को मूलभूत नियम-18 एवं म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-7 के अन्तर्गत कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं. इन निर्देशों के अनुसार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित शासकीय सेवकों के विरुद्ध यथासमय तत्परता से अनुशासनात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जाना चाहिए. इसी संबंध मे आपका ध्यान सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक 62/1484/1(3)79, दिनांक 29-1-80 की ओर भी आकर्षित किया जाता है, जिसमें लिखा है कि ऐसे शासकीय सेवक, जो अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहते हैं, को विभागीय जांच के दौरान निलंबन में रखना आवश्यक नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से वे निलंबन भत्ते आदि की मांग करते है. साथ में यह भी निर्देश दिए गए कि यदि कोई इस प्रकार का शासकीय सेवक सेवा में पुनः लिया जाता है एवं प्रशासकीय कारणोंवश यदि यह आवश्यक समझा जाता है तो अनुशासनिक अधिकारी द्वारा उसे सेवा में लिए जाने की तिथि से निलंबन में रखा जा सकता है (प्रतिलिपि संलग्न है).

3. अनधिकृत अनुपस्थिति के संबंध में मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 का नियम-7 और मूलभूत नियम-18 लागू होते है. ये इस प्रकार है :—

(अ) मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-7 का उद्धरण—

"शासकीय सेवकों द्वारा अवकाश पर प्रगमन न कोई शासकीय सेवक अवकाश (आकस्मिक अथवा अन्य) पर उसके स्वीकृत हो जाने के पूर्व प्रगमन नहीं करेगा, परन्तु आपात की दशा मे आवकाश स्वीकार करने के लिए सक्षम प्राधिकारी उन कारणों से, जो लेखबद्ध किये जायेंगे, पहले ही लाभ उठाये गये अवकाश को, भूत-प्रभावी स्वीकृति दे सकेगा".

अनुभाग अधिकारी,
मध्य प्रदेश शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग
(शिक्षा - 4)

वि.वि.गां प्र.क्र. 2103 -

(ब) मूलभूत नियम-18 का उद्धरण–

F.B. 18—Effect of continuous absence.—Unless the Governor in view of the exceptional circumstances of the case otherwise determines; no Government Servant shall be granted leave of any kind for a continuous period exceeding five years.

(Substituted vide Notification No. 714, R-516-IV-R-1-71, dt. 2nd June 1972 and have affect from 9-6-72).

M.P. Govt. Decision—Treatment of Wilful absence from duty not regularised.—Wilful absence from duty, even through not covered by grant of leave does not entail loss of lien. The period of absence not covered by grant of leave shall have to be treated as dies-non for all purpose namely increment and leave.

F.D. Notification No. 745/2038/76/R/1/IV, dt. 9-3-77.

4. अनाधिकृत अनुपस्थिति के मामलों के निपटारे के संबंध में जो विभिन्न प्रकार के प्रश्न, उठते रहते हैं, उनको मद्देनजर रखते हुए, राज्य शासन इस विषय पर पूर्व निर्देशों को संशोधित करते हुये तथा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम-24 के अधीन निर्वचन की शक्तियों का उपयोग करते हुए यह निर्धारित करता है कि :–

(क) यदि आपात कारणों से कोई भी शासकीय सेवक अनधिकृत रूप से अनुपस्थित हो तो सक्षम प्राधिकारियों को आचरण नियमों के नियम-7 के अन्तर्गत उपलब्ध अधिकारों का उपयोग करते समय सर्वप्रथम यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसी बिना सक्षम स्वीकृति के अनुपस्थिति रहे शासकीय सेवक के विरुद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के अधीन अनुशासनात्मक कार्यवाही अविलंब प्रारम्भ कर दी जाय.

(ख) अनधिकृत अनुपस्थिति के पश्चात् जैसे ही ऐसा शासकीय सेवक कार्य पर उपस्थित होने और ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए उपस्थित हो उसे उपस्थित होने के दिनांक से ही निलंबित किया जाय.

(ग) कण्डिका (क) में बताई गई अनुशासनात्मक कार्यवाही शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण की जाए और उसमें यथोचित आदेश पारित किये जाए. उक्त आदेश पारित करने के साथ ही जैसी भी स्थिति हो, उसके मुताबिक निलम्बन अवधि के बारे में भी निर्णय लिया जाए.

(घ) यहां यह ध्यान रखा जाए कि उपर्युक्त निर्देश लागू करते समय प्रत्येक प्रकरण के गुण-दोषों का सम्यक् विश्लेषण अवश्य किया जाय ताकि छोटी-छोटी अर्थात् केवल कुछ दिवस की अवधि की ऐसी अनुपस्थिति के संबंध में अनुशासनात्मक कार्यवाही एवं निलंबन करने की स्थिति पैदा न हो, जिनमें शासकीय सेवक के पास आपात रूप से अनुपस्थित रहने का विवशता और आवश्यकता के पुष्ट आधार हों.

5. इन आदेशों का पालन अत्यन्त कड़ाई से किया जावे तथा जो शासकीय सेवक अभी भी अनधिकृत रूप से शासकीय सेवा से लंबी अवधि से अनुपस्थित हैं तथा जिनके विरुद्ध अभी तक कोई विभागीय जांच संस्थित नहीं की गई है, उनके विरुद्ध भी अब तत्काल विभागीय जांच उपर्युक्तानुसार संस्थित की जाना सुनिश्चित किया जाय.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

हस्ता./-

(एम. एस. सिन्हा)

उपसचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग.

अनुभाग अधिकारी,
मध्य प्रदेश शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग
(कक्ष - 4)

वि.क्र. नगराठ प्र.कु -2103

भोपाल, दिनांक 5 सितम्बर, 92

पृ. क्र. सी-6-36/92/3/1

प्रतिलिपि :—

1. निबंधक, उच्च न्यायालय, म.प्र. जबलपुर
   लोकायुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल.
   सचिव, लोक सेवा आयोग, म.प्र. इन्दौर.
   सचिव, कनिष्ठ सेवा चयन मण्डल, म.प्र. भोपाल.
2. राज्यपाल के सचिव, म.प्र. राजभवन, भोपाल.
   सचिव, विधान सभा सचिवालय, म.प्र. भोपाल.
3. मुख्यमंत्री जी/समस्त मंत्रिगण/राज्य मंत्रिगण के निज सचिव/निज सहायक.
4. प्रमुख सचिव/सचिव/अपर सचिव/उप सचिव/सामान्य प्रशासन विभाग.
5. अवर सचिव, स्थापना/अधीक्षण/अभिलेख शाखा/मुख्य लेखाधिकारी म.प्र. सचिवालय, भोपाल.
6. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, म.प्र. भोपाल.
7. रजिस्ट्रार, म.प्र. राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण/महाधिवक्ता, म.प्र. जबलपुर.
8. आयुक्त, जनसम्पर्क, मध्यप्रदेश, भोपाल.

की ओर सूचनार्थ अग्रेषित.

हस्ता./-
(एम. एस. सिन्हा)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग.

अनुभाग अधिकारी,
मध्य प्रदेश शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग
(कक्ष - 4)